परिष्टि–दो

प्रपत्र–2(क)

निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम–17 (क) को देखें

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद–ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड

ई–मेल deousn-edu-uk@nic.in दूरभाषः 05944–250663 फैक्सः 05944–250054

पत्रांक / मान्यता / 11952-53 / 2017–18 दिनांकः– 28/2/2018

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक,

दि गुरूकुल फाउण्डेशन स्कूल बाजपुर रोड जैतपुर– बाजपुर रोड काशीपुर ऊधमसिंह नगर।

विषयः निः शुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 (2) के प्रयोजनार्थ निशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम 17 (क) के अर्न्तगत अधिनियम की अनुसूची मे निर्धारित मानक एंव मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक– **शून्य** के क्रम में आपके विद्यालय **दि गुरूकुल फाउण्डेशन स्कूल जैतपुर– बाजपुर रोड काशीपुर (कक्षा 01 से 08 अंग्रेजी माध्यम)** को अधिनियम की धारा–19 (2) के अर्न्तगत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एंव मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद ऊधम सिंह नगर मे आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या **19 / 2014–15** है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची मे निर्धारित मानक एंव मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम–18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता / अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के सन्दर्भ में यदि भविष्य में सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के दौरान अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य किसी भी प्रकार से यह संज्ञान में आता है कि आपके शपथपत्र में गलत सूचनायें अंकित कर अथवा वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए असत्य एवं भ्रामक सूचनायें दी हैं या स्वघोषणा पत्र में आपके द्वारा दी गयी प्रविष्टियॉ असत्य एवं त्रुटिपूर्ण पायी गयी तो आपकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न धाराओं का दोषी मानते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय,

(डा0पी0एन0सिंह)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर ।

पृ0सं0: मान्यता / / 2017–18 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), ऊधम सिंह नगर ।

(डा0पी0एन0सिंह)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर ।

PRINCIPAL
THE GURUKUL FOUNDATION SCHOOL
KASHIPUR (U.S. NAGAR)

The Gurukul Foundation
School
Manager